



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony

Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 1845 /SEIAA/ 22

Date: 18/10/22

संशोधन-पत्र

प्रति,

श्रीमती सोनम जायसवाल
पत्नी श्री धमेन्द्र जायसवाल,
निवासी ग्राम बगवानिया,
तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्र. 8832/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सोनम जायसवाल पत्नी श्री धमेन्द्र जायसवाल, निवासी ग्राम बगवानिया, तहसील धरमपुरी जिला धार (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 46/1 पैकी रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम भौडल, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.)।

संदर्भ: राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) समिति की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 में लिये गये निर्णय अनुसार ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 595वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

“प्रकरण में एसईएसी की 549वीं बैठक दिनांक 15/02/2022 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को प्रेषित अनुशंसा में त्रुटिवश उत्पादन क्षमता पत्थर-37,500 मी.³ प्रति वर्ष टंकण हो गया था, अतः उत्पादन क्षमता पत्थर-37,500 मी.³ प्रति वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता मुरुम-37,500 टन/वर्ष (15,000 घनमीटर/वर्ष) पढ़े जाने की अनुशंसा करती है, शेष शर्तें/अनुशंसा यथावत रहेंगी।”

प्राधिकरण द्वारा SEAC की 595वीं बैठक दिनांक 22.09.2022 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण में उत्पादन क्षमता पत्थर-37,500 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता मुरुम-37,500 टन/वर्ष (15,000 घनमीटर/वर्ष) किया जाता है, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

A

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को मान्य करते हुए विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEIAA द्वारा उक्त प्रकरण में जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र दिनांक 29.04.2022 में उल्लेखित उत्पादन क्षमता पत्थर-37,500 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर उत्पादन क्षमता मुरुम-37,500 टन/वर्ष (15,000 घनमीटर/वर्ष) संशोधन मान्य किया जाता है एवं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शेष सभी विशिष्ट व साधारण शर्तें यथावत रहेंगी। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

श

श

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र. 1846
प्रतिलिपि :-

/SEIAA/2022 भोपाल

दिनांक 18/10/22

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला धार (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला धार (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।

श

श

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी